न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

प्रकीर्ण फौज0वाद सं0–349 / 2022
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी010002452–2022

शकुन्तला बनाम गीता आदि।

धारा–155(2)दं0प्र0सं0
थाना–मोहम्मदी, खीरी।

30.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थिनी मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र अं0धारा–155(2) दं.प्र.सं. पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन के आधार पर यह विदित है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र अं0धारा–155(2) दं.प्र.सं. प्रस्तुत कर सम्बंधित थानाध्यक्ष को यह आदेशित करने की प्रार्थना की गई है कि वह एन0सी0आर0 सं0–278 / 2022 अंतर्गत धारा–323, 504 भा0दं0सं0 में विवेचना कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थना–पत्र तथा दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर एन0सी0आर0 सं0–278 / 2022 की विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अं0धारा–155(2) दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अं0धारा–155(2) दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है तथा सम्बंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि एन0सी0आर0 सं0–278 / 2022 अंतर्गत धारा–323, 504 भा0दं0सं0 में विधि अनुसार विवेचना कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करे।

(रुचि श्रीवास्तव)
यू0पी02193
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
30.09.2022